

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 582(1)/पांच-5-2021  
लखनऊ, 31 मार्च, 2021

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 582/पांच-5-2020, दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) विनियमावली, 2021 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,
- 3-निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 4-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश,
- 5-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
- 6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 8-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 9-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 10-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11-निदेशक, संचारी रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 12-समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश,
- 13-मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश,
- 14-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 15-गार्डबुक।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,  
सुनील कुमार चौहान,  
अनु सचिव।





# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च, 2021

चैत्र 10, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 582/पांच-5-2021

लखनऊ, 31 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-22

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) विनियमावली, 2021

1-यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) संक्षिप्त नाम विनियमावली, 2021 कही जाएगी।

2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में, नीचे स्तम्भ-1 में विनियम 17 का संशोधन दिए गये विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 31 मार्च, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिये विधिमान्य रहेगी।

स्तम्भ-2

17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 जून, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिये विधिमान्य रहेगी।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.582/V-5-2021, dated March 31, 2021:

no.582/V-5-2021

*Dated Lucknow, March 31, 2021*

IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020.

THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (SEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

Short title

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 (Seventh Amendment) Regulations, 2021.

Amendment of regulation 17

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020, for existing regulation 17 setout in Column-1 below, the regulation as setout in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31 March, 2021 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

COLUMN-2

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 30 June, 2021 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

By order,

AMIT MOHAN PRASAD,

*Apar Mukhya Sachiv.*